दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग - 2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

09 दिसम्बर, 1998
मंगलवार-------------
18 मार्गशीर्ष, 1920 (शक)

संख्या : 02

दूसरी विधान सभा के पहले सत्र का प्रारम्भ

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दूसरी विधान सभा का पहला सत्र सोमवार, 14 दिसम्बर, 1998 को अपराह्न 2·00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054 में प्रारम्भ होगा ।

(2) पहले सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटन

पहले सत्र में कार्य निष्पादन के लिये विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर दिनांक 14·12·1998, 15·12·1998, 16·12·1998 एवं 17·12·1998 के लिए निर्धारित की गई हैं ।

बैठकों का अस्थायी तिथि-पत्र अलग से भेजा जा रहा है ।

(3) विधान सभा की बैठकों का समय

जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, विधान सभी की बैठकें नियत की गई तिथियों को अपराह्न2·00 बजे से आरम्भ होंगी और तब तक चलेंगी जब तक कि उसे उस दिन के लिये स्थगित न कर दिया जाये ।

बैठक के प्रथम दिन अर्थात् 14 दिसम्बर, 1998 को सदस्यों को अपने आसन ग्रहण करने के उद्देश्य से गणपूर्ति की घंटी अपराह्न 1·55 बजे बजाई जायेगी।

बैठक का प्रारम्भ राष्ट्रीय गीत "बन्दे मातरम्" की धुन के साथ होगा।

(4) निर्वाचन प्रमाण-पत्र

माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि विधान सभा सचिवालय द्वारा नव-निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन प्रमाण-पत्र जमा कराने एवं बायो-डाटा फार्म आदि भरने हेतु सचिवालय में विशेष स्वागत कक्ष की स्थापना 7 से 9 दिसम्बर, 1998 तक की थी ।

जिन सदस्यों ने अभी तक निर्वाचन प्रमाण-पत्र जमा नहीं कराये हैं एवं यह सूचित नहीं किया है कि वे किस भाषा में शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, उनसे अनुरोध है कि वे कृपया यह भी सूचित करें कि वह शपथ लेंगे या

प्रतिज्ञान करेंगे और कौन सी भाषा में शपथ लेना/प्रतिज्ञान करना चाहते हैं ताकि उस तरह का प्रबन्ध किया जा सके ।

सदस्यों द्वारा यह सूचना सोमवार, 14 दिसम्बर, 1998 को प्रातः 11·00 बजे तक दूरभाष नंबर-3984768 और 2910060 पर भी दी जा सकती है ।

§5§ पहले सत्र के दिन सदन में बैठने की व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष द्वारा दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-5 के अनुसार सदस्यों को स्थायी स्थान प्रदान किये जाने तक सदन के प्रत्येक सदस्य को अस्थायी रूप से स्थान आबंटित किया गया है । अस्थायी रूप से सदस्यों को आबंटित स्थानों§सीटों§ की संख्या के विवरण की एक प्रति अलग से भेजी जा रही है ।

§6§ शपथ या प्रतिज्ञान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-4 के साथ पठित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा-12 की अपेक्षा के अनुसार सदस्य सोमवार, 14 दिसम्बर, 1998 को अपराह्न 2·00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-54 में शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे ।

जो सदस्य 14 दिसम्बर, 1998 को शपथ या प्रतिज्ञान लेने में असमर्थ हैं, वे बाद में विधान सभा की किसी भी बैठक में सचिव को प्रातः 11·00 बजे तक सूचना देकर शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे ।

शपथ या प्रतिज्ञान करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है :-

"सचिव द्वारा किसी सदस्य का नाम पुकारे जाने पर, माननीय सदस्य अपने स्थान से सचिव की मेज के दाईं ओर पहुंचेंगे, जहां उन्हें शपथ अथवा प्रतिज्ञान के प्रपत्र की एक प्रति दी जायेगी । सदस्य अध्यक्ष की ओर मुंह करके शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे और उसके बाद अध्यक्ष के आसन तक आयेंगे, अध्यक्ष से हाथ मिलायेंगे अथवा उनका अभिवादन करेंगे और अध्यक्ष इसके बाद सदस्य को सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की अनुमति

देंगे । सदस्य अध्यक्ष के पीछे से होकर पटल के दूसरी ओर जायेंगे, वहां वह सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और नामावली में हस्ताक्षर करने के बाद वह अपना स्थान ग्रहण करेंगे ।

(7) कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति

उपराज्यपाल का दिनांक 7·12·1998 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

"जबकि दिनांक 14·12·1998 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की प्रथम बैठक प्रारम्भ होने के तुरन्त पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है ।

अतएव, अब मैं एतद्द्वारा श्री राम भज, सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा को, उक्त बैठक के प्रारम्भ होने पर अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये और तब तक के लिये, जब तक कि उक्त सदन द्वारा अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर दिया जाता है, को नियुक्त करता हूं ।

मैं एतद्द्वारा श्री राम भज को ऐसे व्यक्ति के रूप में भी नियुक्त करता हूं जिसके समक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा-12 के उपबंधों के अनुसार शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे ।"

(8) अध्यक्ष का निर्वाचन

अध्यक्ष का निर्वाचन मंगलवार, 15 दिसम्बर, 1998 को होगा । इस संबंध में विस्तृत जानकारी एवं प्रक्रिया सहित अलग से समाचार भाग-2 जारी किया जा रहा है ।

(9) उपराज्यपाल का अभिभाषण

उपराज्यपाल बुधवार, 16 दिसम्बर, 1998 को विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 में सदस्यों को सम्बोधित करेंगे । इस संबंध में अलग से समाचार भाग-2 जारी किया जा रहा है ।

पी·एन·गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY.

BULLETIN PART-II.

(General Information relating to Legislative and other matters).

No. **02** **Wednesday** 9th December'98.
18, Margashish,1920(Sa

(1) **COMMENCEMENT OF THE FIRST SESSION OF THE SECOND LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.**

Members are informed that the First session of the Second Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Monday, the 14th December'98 in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

(2) **ALLOTMENT OF DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING THE FIRST SESSION.**

As at present arranged, sittings of the Legislative Assembly for the transaction of business have been fixed provisionally for -

14th December'98
15th December'98
16th December'98
17th December'98.

A provisional calender of sittings is being circulated seperately.

(3) **TIME OF SITTINGS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY.**

Until the Speaker otherwise directs, the Legislative Assembly will, on days when there are sittings, sit from 2.00 P.M. and continue until the business fixed for the day is concluded.

On the first day of the sitting i.e. on 14 December'98 the quorum bell will be rung at 1.55 P..M. to enable Members to take their seats.

The meeting will commence with the recitation of national song 'Vande Matram'.

(4) **CERTIFICATE OF ELECTION.**

Hon'ble Members would recall that the Assembly Sectt. had set up a Reception Counter for the newly elected Members from 7th December'98 to 9th December'98to enable them to deposit their Election Certificates, fill up the Bio-data proforma, and to complete certain other formalities.

Those members who have not so far deposited copies of Election certificates or have not intimated whether they would be taking oath or affirmation and in which language, may kindly do so at the earliest so that necessary arrangements in this regard are made.

Members can communicate this information latest by 14.12.98 till 11 A.M. positively on Phone Nos. 3984768 and 2910060.

(5) SEATING ARRANGEMENT DURING FIRST SESSION.

Each Member of the House has been **provisionally** allotted a seat pending allotment of seat by the Speaker under Rule 5 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly. A copy of the statement showing the seat Nos. provisionally allotted to the Members is being sent seperately.

(6) **OATH OR AFFIRMATION.**

Members will make and subscribe the oath or affirmation as required under Section 12 of the Government of N.C.T. of Delhi Act, 1991 read with Rule 4 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 14th December'98 from 2.00 P.M. onwards in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

A member who is unable to make and subscribe the oath or affirmation on the 14th December'98, may do so on any subsequent sitting of the Assembly after giving advance intimation to the Secretary by11.00 A.M. on that day.

(ii) The following procedure has been laid down for making and subscribing the oath or Affirmation:-

"On the name of a member being called by the Secretary, he will proceed from the place he is occuping to the right side of the Secretary's table, where a copy of the form of Oath or affirmation, as the case may be, will be handed over to him. The member will face the Chair while making the oath or affirmation and will then go upto and shake hands with or wish the Chair, who will then give the member permission to take his seat in the House. The member will pass behind the Chair to the other side of the Table where he will sign the Roll of Members. After signing the Roll of Members, he will take his seat in the House."

(7) **APPOINTMENT OF SPEAKER PRO TEM.**

The following order dated the 7th December'98 by the Lt. Governor, is published for general information:-

"WHEREAS the offices of Speaker and Deputy Speaker are vacant immediately before the commencement of the first meeting of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 14.12.1998.

NOW, THEREFORE, I hereby appoint Shri Ram Bhaj, a member of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, to perform the duties of the office of the Speaker from the commencement of the said meeting and until the Speaker shall have been chosen by the said House.

I also hereby appoint Shri Ram Bhaj to be the person before whom members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi may make and subscribe the Oath or affirmation in accordance with the provisions of Section 12 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991."

(8) ELECTION OF SPEAKER.

Election of Speaker will be held on Tuesday, the 15th December'98. A seperate Bulletin Part-II is being issued giving detailed information and procedure in that regard.

(9) LIEUTENANT GOVERNOR's ADDRESS.

The Lieutenant Governor will address the Legislative Assembly on Tuesday, the 16th December, 1998 at 2.00 P.M. in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

P.N. GUPTA
SECRETARY.

822